कार्यालय सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, चन्दौली

पत्रांक 80/NBC/26-27 दिनांक 07-07-2026

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी
जनपद-चन्दौली।

विषयः- निर्मित श्री रामजी शिक्षण संस्थान, बैरी मोड़, चकिया, जनपद-चन्दौली के भवन हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः- आपका पत्रांक 1449दिनांक-24.06.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या-89/अड़सठ-3-2018-2041/2018 दिनांक-11.01.2019 तथा संख्या-196/अड़सठ-3-2020-2018 दिनांक-29.06.2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्मित श्री रामजी शिक्षण संस्थान, बैरी मोड़, चकिया, जनपद-चन्दौली के भवनों का स्थलीय निरीक्षण किया गया निरीक्षणोंपरान्त प्रथम् दृष्टया विद्यालय भवन संतोषजनक पाया गया तथा सुरक्षा की दृष्टि से भी सुरक्षित है जिसे संलग्नक चेकलिस्ट 22 बिन्दू प्रोफार्मा में अंकित किया गया है तथा किसी भी प्रकार का वाद-विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में यह जारी की गयी अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। शेष निर्मित भवन के स्ट्रक्चरल डिजाइन आदि का दायित्व विद्यालय प्रबन्धन के स्वयं का होगा।

संलग्नकः-चेकलिस्ट 22 बिन्दु प्रोफार्मा में।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
चन्दौली
07/7/26

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
चन्दौली